



भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

F.No. 61/4/NCST/2017-NIC

दिनांक-26.11.2018

कार्यालय-आदेश

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया है कि आयोग में ई-ऑफिस का विधिवत् क्रियान्वयन प्रारम्भ हो चुका है। सभी अधिकारियों/कार्मिकों के खाता एवं डिजिटल हस्ताक्षर भी बनवा दिये गये हैं।

आयोग के डाक प्राप्ति एवं जारी (R&I) द्वारा भी डाक चरण में ही प्राप्तियाँ E-Office के माध्यम से सम्बन्धित अनुभाग एवं अधिकारियों को भेजी जा रही हैं। अतः सभी अधिकारी/कार्मिक अपने E-Office खाते का नियमित अवलोकन कर आवतियों पर कार्यवाही सम्पादित करें।

E-Office के सफल क्रियान्वयन के लिए सुश्री हरप्रीत कौर, तकनीकी सहायक को आयोग की NIC शाखा में पदस्थ किया गया है जिनका इन्टरकाम नं० 673 है। आयोग को पेपर रहित बनाने में सभी का सहयोग वांछनीय है।

L. V.

(आर.के.दुबे)

सहायक निदेशक(प्रशा०)

प्रति- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष
2. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष
3. निजी सचिव, माननीय सदस्य (एच.के.डी/एच.सी.वी/एम.सी.आई.)
4. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव कार्यालय
5. निजी सचिव, सयुक्त सचिव कार्यालय
6. उपसचिव (अनुसंधान एकक-1,2, /निदेशक अनुसंधान एकक-3)
7. अवर सचिव (स्थापना)
8. सहायक निदेशक (प्रशासन/समन्वय/अनुसंधान एकक-1,2,3)
9. अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान एकक-4)
10. केन्द्रीय सूचना केन्द्र